निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
17/2010	23.2.2010	23-10-2017

ग्यारसा पुत्र भोरया, मीना निवासी मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 गोकुल पुत्र ग्यारसा, मीना निवासी मीनापाडा तह0गंगापुर सिटी——वादी

बनाम

1. फूलवती पत्नि हरिचरण, मीना निवासी कंवरपुर तहसील व जिला करौली
2. लौहडी देवी पत्नि राधाकिशन, मीना नि0 मीनापाडा तह0 गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी एवं मृतक गंगासहाय पुत्र भौरया आपस में सगे भाई हैं। गंगासहाय का करीब 40 साल पहले इन्तकाल हो गया। प्रतिवादिया सं0 1 फूलवती गंगासहाय की पत्नि थी जो गंगासहाय के मरने के करीब 4 माह बाद ही ग्राम कंवरपुर में हरिचरण मीना के नाते बैठ गई। तभी से वह हरिचरण की पत्नि के रूप में ग्राम कंवरपुर में रह रही है। फूलवती के नाते बैठने के बाद उसके गंगासहाय की चल व अचल सम्पत्ति में जो भी अधिकार थे, समाप्त हो गए। वादी मृतक गंगासहाय का सगा भाई होने के कारण उसका एकमात्र कानूनी वारिस है तथा गंगासहाय की छोडी हुई समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर पिछले 40 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादिया फूलवती का मृतक गंगासहाय की चल व अचल सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है। प्रतिवादिया फूलवती ने फर्जी रूप से गंगासहाय की खातेदारी भूमि हडपने के लिए ग्राम पंचायत कुनकटाकलां से मिलकर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया जिसकी वादी को कोई जानकारी नहीं हुई। तथा दिनांक 4.11.09 को भूमि के हाल ख0नं0 863 रकबा 1.87 है0 में से 1/2 हिस्सा को प्रतिवादी सं0 2 के हक में फर्जी रूप से बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी सं0 1 को भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं था। इस फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नं0 2 ने वादी को दिनांक 25.1.10 को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर ग्राम कुनकटाकलां में स्थित भूमि ख0नं0 863 रकबा 1.87 है0 में से प्रतिवादी का नाम हजफ किया जाकर वादी को सम्पूर्ण भूमि का

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह भूमि ख0नं0 863 रकबा 1.87 है0 से वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गंगासहाय की मृत्यु के बाद फूलवती का 4 माह बाद नाते बैठ जाना अस्वीकार है। गंगासहाय के निधन के बाद उसकी चल व अचल सम्पत्ति फूलवती को मिल गई थी क्योंकि गंगासहाय के कोई औलाद नहीं थी तथा पत्नि का पति की सम्पत्ति पर बहैसियत उत्तराधिकारी अधिकार होता है। गंगासहाय के निधन के बाद उसकी कृषि भूमि का नामान्तरकरण वैधानिक रूप से जबाबदार के नाम खुला और गंगासहाय का ग्राम मीनापाडा स्थित मकान पर फूलवती का ही कब्जा रहा । अपने भाई गंगासहाय की मृत्यु के बाद ग्यारसा की नियत खराब हो गई और वह फूलवती को तरह तरह से परेशान करने लगा जिससे परेशान होकर फूलवती गंगासहाय की मृत्यु के 8–9 साल बाद ग्राम करणपुर में हरिचरण के नाते बैठ गई, नाते बैठने के बाद भी उसका अपने पूर्व पति गंगासहाय की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा बरकरार रहा, उसके हिस्से की काश्त की जमीन पर उसके द्वारा ही काश्त करवाई जाती रही। जबाबदार के नाम वैधानिक रूप से नामान्तरकरण दर्ज हुआ है एवं उसने वैधानिक रूप से ही जमीन का विक्रय किया है। वादी ने दावा गलत पेश किया है। माननीय अदालत हाजा को विक्रय पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा जबाबदार व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में हुए नामान्तरकरण को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है एवं दावा सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। वादी द्वारा विक्रय मूल्य रू0 373800/– पर कोर्टफीस पेश नहीं की गई है और न ही सक्षम न्यायालय में दावा पेश किया गया है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 2 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि गंगासहाय की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद हुई थी और इस अधिनियम के अनुसार पति की मृत्यु के बाद उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर पत्नि का बहैसियत उत्तराधिकारी अधिकार होता है। मृतक गंगासहाय के स्वयं के कोई पुत्र एवं पुत्री नहीं थी इसलिए प्रतिवादी सं0 1 के नाम नामान्तरकरण सही प्रकार से तस्दीक हुआ । गंगासहाय की मृत्यु के बाद फूलवती ही उसकी भूमि काश्त करती रही एवं ग्राम मीनापाडा में गंगासहाय के मकान में रहती रही। गंगासहाय की मृत्यु के बाद वादी

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

फूलवती को परेशान करने लगा, उस पर गलत नियत डालने लगा तो गंगासहाय की मृत्यु के 8–9 साल बाद फूलवती करणपुर में नाते बैठ गई। नाते बैठने के बाद भी अपने पूर्व पति गंगासहाय की छोडी हुई अचल सम्पत्ति पर फूलवती का कब्जा रहा और फूलवती बट पर भूमि काश्त कराती रही। वादी का विवादित आराजी से कोई वास्ता नहीं है। फूलवती के नाम नामान्तरकरण सही तरीके से तस्दीक हुआ। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में किसी सम्पत्ति में जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वह नाते बैठने अथवा दूसरी शादी करने से समाप्त नहीं होते हैं यानि जो अधिकार एक बार किसी व्यक्ति में वेस्ट हो जाते हैं वे डाईवेस्ट नहीं हो सकते। ख0नं0 863 रकबा 1.87 है0 ग्राम कुनकटा के मौके पर दो टुकडे हो रहे हैं। एक हिस्से को वादी काश्त करता था एवं एक हिस्से को गंगासहाय काश्त करता था। गंगासहाय की मृत्यु के बाद फूलवती काश्त करती है। गंगासहाय के हिस्से की 1/2 जमीन पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादी फूलवती ने अपने हिस्से की 1/2 भूमि लोहडीदेवी को विक्रय राशि रू0 373600/– में बेचान की है और प्रतिवादी लोहडीदेवी विवादित भूमि की बोनाफाइड परचेजर विद कन्सीडरेशन है। अदालत हाजा में विक्रयनामा निरस्त नहीं हो सकता है क्योंकि अदालत हाजा को इसका अधिकार नहीं है। अदालत हाजा को दावा सुनने का अधिकार हासिल नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया ग्यारसा एवं मृतक गंगासहाय पुत्र भौरया सगे भाई थे। गंगासहाय के 40 साल पहले इन्तकाल होने के बाद गंगासहाय की पत्नि फूलवती गंगासहाय की मृत्यु के चार माह बाद ग्राम करणपुर में हरिचरण मीणा के नाते बैठ गई।
2. आया फूलवती के हरिचरण के नाते बैठ जाने के उपरान्त गंगासहाय पुत्र भौरया जाति मीना निवासी मीनापाडा की चल अचल सम्पत्ति से फूलवती का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।
3. आया फूलवती ने मृतक गंगासहाय एवं वादी की सहखातेदारी भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 349 रकबा 7 बीघा 7 विस्वा स्थित ग्राम कुनकटा कलां की गंगासहाय की विरासत अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा कर साबिक खसरा नम्बर 349 से बने हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 1.87 हैक्टर के हिस्सा 1/2 को दिनांक 4.11.09 को प्रतिवादी संख्या 2 को गलत रूप से बेचान कर दिया है।
4. आया वादी भूमि खसरा नम्बर 863 रकबा 1.87 हैक्टर के हिस्सा 1/2 के बेचान को प्रभावशुन्य घोषित करवाने का अधिकारी है।
5. आया विवादित भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है।
6. आया उक्त दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।
7. अनुतोष।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

कोर्ट फी COURT FEE Rs.2

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल नामान्तरकरण सं0 85 दि0 10.3.73 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2031 से 3034 प्रदर्श–4, असल पंचनामा दि0 24.6.2010 प्रदर्श–5, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6, नकल नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 20.11.09 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 प्रदर्श–8, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2065, 2066 प्रदर्श–9, नकल विक्रय पत्र दिनांक 4.11.09 प्रदर्श–10, नकल निर्णय दि0 13.7.2012 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर प्रदर्श–11, नकल मतदाता सूची प्रदर्श–12, प्रदर्श–13, प्रदर्श–14, असल रसीद वन विभाग प्रदर्श–15, फोटोग्राम प्रदर्श–16, प्रदर्श–17 पेश किए हैं एवं बयान वादी गोकुलराम पी0डब्लू0 1, बयान गवाह बाबूलाल पी0डब्लू0 2, बयान गवाह मनोहर पी0डब्लू0 3, बयान गवाह बीरवल पी0डब्लू0 4 कराए हैं। इसके अलावा फोटोकोपी मतदाता सूची वर्ष 1988, 1994, 1999, 2004, 2009, फोटोकोपी एफ0आई0आर0 सं0 109 दि0 3.5.11, एफ0आर0 दिनांक 17.5.11, फोटोकोपी आदेशिका दिनांक 7.9.11 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी भी पेश की है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं दिनांक 19.12.2016 को प्रतिवादीगण के वकील एवं प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी ग्यारसा व मृतक गंगासहाय दो भाई थे एवं दोनों की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कुनकटाकलां में स्थित थी। करीब 48 वर्ष पहले गंगासहाय की लाऔलाद मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 4 माह बाद ही उसकी पत्नि फूलवती हरिचरण मीना के नाते बैठ गई तथा मृतक गंगासहाय की भूमि से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। वर्ष 1973 में ग्राम पंचायत ने मृतक गंगासहाय की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 85 फूलवती के नाम खोल दिया जबकि फूलवती तो पहले ही हरिचरण मीना के नाते बैठ चुकी थी। मृतक गंगासहाय की भूमि का एकमात्र वारिस वादी ही था परन्तु ग्राम पंचायत ने वादी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला। गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर फूलवती ने लोहडीदेवी को भूमि का 4.11.2009 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया एवं इसके आधार पर लोहडी देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 20.11.09 खुल गया। वादी ने उपरोक्त दोनों नामान्तरकरणों के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में अपील की जिसमें श्रीमान ने नामान्तरकरण संख्या 85 व इसके आधार पर हुए विक्रय दिनांक 4.11.09 के आधार पर खोले गए नामान्तरकरण संख्या 309 को निर्णय दिनांक 5.1.12 द्वारा निरस्त कर दिया। निर्णय दिनांक 5.1.12 के

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विरुद्ध लोहडीदेवी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील पेश की जो 13.7.12 को खारिज कर दी गई एवं इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 5.1.12 यथावत रखा गया। वादग्रस्त भूमि पर वादी ग्यारसा का गंगासहाय के मरने के बाद से ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा मृतक गंगासहाय का वादी ग्यारसा एकमात्र वारिस है इसलिए वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज विवेचन एवं निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी नं0 1:–आया ग्यारसा एवं मृतक गंगासहाय पुत्र भौरया सगे भाई थे। गंगासहाय के 40 साल पहले इन्तकाल होने के बाद गंगासहाय की पत्नि फूलवती गंगासहाय की मृत्यु के चार माह बाद ग्राम करणपुर में हरिचरण मीना के नाते बैठ गई।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए वादी की ओर से नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 10.3.73 की प्रति प्रदर्श–3 प्रस्तुत की गई है। यह नामान्तरकरण गंगासहाय के स्थान पर फूलवती बेवा गंगासहाय के नाम खोला गया है। इस नामान्तरकरण के कालम संख्या 5 में प्रविष्टि "ग्यारसा गंगासहाय पि0 भोरया जाति मीना मीनापाडा" दर्ज है जो यह स्पष्ट करती है कि वादी ग्यारसा व मृतक गंगासहाय दोनों भाई थे। इसके अलावा दोनों के भाई होने का तथ्य प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाब दावे में स्वीकार किया है। गंगासहाय की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व होना वादी कहता है। गंगासहाय की मृत्यु का प्रमाणपत्र दोनों ही पक्षों ने प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु वादी ने 2010 में विचाराधीन दावा इस न्यायालय में पेश किया है जिसमें उसने गंगासहाय की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व होना अंकित किया है एवं इससे 40 वर्ष पूर्व की अवधि वर्ष 1970 आती है तथा वर्ष 1973 में गंगासहाय का विरासत का नामान्तरकरण पंचायत द्वारा खोला जा चुका है इससे यह माना जा सकता है कि गंगासहाय की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो गई होगी, 40 वर्ष पूर्व नहीं तो इससे एक या दो वर्ष कम की अवधि में हो गई होगी क्योंकि वर्ष 1973 में तो गंगासहाय की विरासत का नामान्तरकरण ही खुल गया था। जहां तक गंगासहाय की विधवा पत्नि फूलवती के गंगासहाय की मृत्यु के 4 माह बाद ही उसके हरिचरण के यहां नाते बैठने का प्रश्न है, इसे प्रमाणित करने के लिए वादी ने स्वतंत्र साक्षी मनोहर पुत्र हीरालाल मीना निवासी मीनापाडा, बाबूलाल पुत्र फूलचन्द मीना निवासी मीनापाडा, बीरबल पुत्र चिरंजी मीना निवासी कंवरपुर तहसील करौली के बयान कराए हैं । इन तीनों ने ही फूलवती का गंगासहाय की मृत्यु के 4 माह बाद ही हरिचरण मीना के यहां नाते बैठने की बात कही है। इनमें बीरबल पुत्र चिरंजी मीना तो ग्राम कंवरपुर तहसील करौली का ही रहने वाला है। इसलिए इसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण भी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

नहीं है। इस प्रकार यह तनकी अभिलेख से एवं स्वतंत्र साक्ष्य से वादी के पक्ष में प्रमाणित है एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया फूलवती के हरिचरण के नाते बैठ जाने के उपरान्त गंगासहाय पुत्र भौरया जाति मीना निवासी मीनापाडा की चल अचल सम्पत्ति से फूलवती का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वकील वादी ने इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 2007 पेज 736, आर.आर.डी. 1995 पेज 56 उद्धत किए हैं। विद्धान अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत इन न्याय दृष्टान्तों का सादर अध्ययन किया गया । इन न्याय दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि विधवा द्वारा पुनर्विवाह किए जाने पर उसे उसके पति से प्राप्त सम्पत्पि पुनः मृतकं के पीहर पक्ष में लौट जावेगी क्योंकि ओल्ड हिन्दु ला के तहत यह प्रावधान है। प्रस्तुत मामले में गंगासहाय की मृत्यु के बाद उसकी विधवा फूलवती गंगासहाय की मृत्यु के 4 माह बाद ही हरिचरण मीना के नाते बैठ गई थी जो पुनर्विवाह की श्रेणी में आता है। इसके बाद भी फूलवती के नाम गंगासहाय की विरासत का नामान्तरकरण वर्ष 1973 में ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है एवं आगे अपीलेट कोर्ट में भी इस न्यायालय का निर्णय यथावत रहा है परन्तु वादग्रस्त भूमि के वर्तमान इन्द्राज जो हैं उनमें फूलवती का 1/2 हिस्से की भूमि पर नाम दर्ज है। चूंकि फूलवती हरिचरण मीना के यहां नाते बैठ चुकी है एवं यह तथ्य उसने स्वयं ने भी स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में फूलवती का मृतक गंगासहाय की सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहता है एवं फूलवती के नाम जो सम्पत्ति मृतक गंगासहाय की दर्ज हो गई है वह पुनः मृतक गंगासहाय के पीहर पक्ष में वापिस आवेगी ऐसा सिद्धान्त प्रस्तुत न्याय दृष्टातों में प्रतिपादित किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं तथा तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया फूलवती ने मृतक गंगासहाय एवं वादी की सहखातेदारी भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 349 रकबा 7 बीघा 7 विस्वा स्थित ग्राम कुनकटा कलां की गंगासहाय की विरासत अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा कर साबिक खसरा नम्बर 349 से बने हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 1.87 हैक्टर के हिस्सा 1/2 को दिनांक 4.11.09 को प्रतिवादी संख्या 2 को गलत रूप से बेचान कर दिया है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 2 में किए गए विवेचन के अनुसार मृतक गंगासहाय की विधवा फूलवती के नाते बैठने के पश्चात् उसका मृतक गंगासहाय की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता है। नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 10.3.73 प्रदर्श–3 जो फूलवती के नाम दर्ज हुआ है वह विधि विरूद्ध है क्योंकि इस नामान्तरकरण से पूर्व ही फूलवती हरिचरण मीना के नाते बैठ चुकी थी एवं यह तथ्य तनकी नं0 1 में विस्तार से विवेचित किया जा चुका है। इस प्रकार इस गलत नामान्तरकरण

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)
उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

के आधार पर फूलवती द्वारा दिनांक 4.11.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कराया गया विक्रय पत्र कानून की नजर में शून्य है एवं इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 के नाम हुआ नामान्तरकरण सं0 309 दिनांक 20.11.09 भी कानून की नजर में शून्य हैं। अतः यह तनकी कानूनी रूप से वादी के पक्ष में है तथा वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– आया वादी भूमि खसरा नम्बर 863 रकबा 1.87 हैक्टर के हिस्सा 1/2 के बेचान को प्रभावशुन्य घोषित करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी के विद्वान वकील द्वारा इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 2012 पेज 492, आर0बी0जे0 2006 पेज 671 उद्धत किए हैं। प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का हमारे द्वारा आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तो में मुख्य रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **"A document executed in violation of law is ab-initio viod and a nullity in the eyes of law"** तनकी नं0 2 व 3 में किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 फूलवती के नाम मृतक गंगासहाय की भूमि गलत रूप से दर्ज हुई है एवं इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 फूलवती द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में कराया गया बेचान दिनांक 4.11.2009 प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है एवं कानून की नजर में प्रभावशुन्य है। वादी ख0नं0 863 रकबा 1.87 है0 के हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में कराए गए बेचान को प्रभावशुन्य घोषित कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:– आया विवादित भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए यह तनकी प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :– आया उक्त दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी अथवा कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके विपरीत वादी की ओर से न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 2012 पेज 492 प्रस्तुत किया गया है। इस न्याय दृष्टान्त के पैरा 11 में की गई विवेचना के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार कृषि भूमि के मामलो में केवल राजस्व न्यायालय ही सुनवाई हेतु सक्षम है। यह न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मि0)

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

तनकी नं0 7 :- अनुतोष ।

तनकीयाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि खाना0 863 रकबा 1.87 हैक्टर ग्राम कुनकटाकलां में फूलवती बेवा गंगासहाय हि0 1/2 के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी अपने घोषित कराने, इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि खाना0 863 रकबा 1.87 है0 ग्राम कुनकटाकलां में फूलवती बेवा गंगासहाय के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का वादी गोकल पुत्र ग्यारसा मीना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि फूलवती बेवा गंगासहाय के नाम से हजफ की जाकर वादी गोकल पुत्र ग्यारसा मीना के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । साथ ही प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE INDIA

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE INDIA

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

ग्यारसा पुत्र भोरया, मीना निवासी मीनापाडा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 गोकुल पुत्र ग्यारसा, मीना निवासी मीनापाडा तह0गंगापुर सिटी—वादी

बनाम

1. फूलवती पत्नि हरिचरण, मीना निवासी कंवरपुर तहसील व जिला करौली
2. लीहडी देवी पत्नि राधाकिशन, मीना नि0 मीनापाडा तह0 गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 17/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 863 रकबा 1.87 है0 ग्राम कुनकटाकलां में फूलवती बेवा गंगासहाय के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का वादी गोकल पुत्र ग्यारसा मीना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि फूलवती बेवा गंगासहाय के नाम से हजफ की जाकर वादी गोकल पुत्र ग्यारसा मीना के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । साथ ही प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

खर्चा डिक्री आज दिनांक 23-10-2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)